



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 279]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2001/वैशाख 13, 1923

No. 279]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 2001/VAISAKHA 13, 1923

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2001

का. आ. 381(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 350(अ) तारीख 17 मई, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 1 में, "इस अधिसूचना द्वारा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को मिलाकर दो वर्ष की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को मिलाकर चार वर्ष की अवधि के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. जेड-20018/1/99-सीपीए]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र में का. आ. सं. 350(अ) तारीख 17 मई, 1999 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 30th April, 2001

S. O. 381(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 350(E), dated 17th May, 1999, namely :—

In the said Order, in paragraph 1, for the words "for a period of two years with effect from the date of publication of this notification", the words "for a period of four years with effect from the date of publication of this Order" shall be substituted.

[File No. Z-20018/1/99-CPA]

VIJAI SHARMA, Jt. Secy.

Note :—The principal order was published in the Gazette of India vide number S. O. 350(E), dated 17th May, 1999.

